

प्रेषक,

एच०पी० सिंह
विशेष राजित
उम्ह० शासन।

सेवा मं.

१ निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उम्ह०, लखनऊ।
नगरीय रोडगार एवं ग्रामीण
जन्मलिन कारोबार विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ३) जुलाई, 2015

विषय- शहरी ग्रामीणों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा नगरीय गलिन वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्थीरूपि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पात्र संख्या-1405/179/10/छ./विविध/आसरा/तकलीकी (अगरोहा-हसनपुर-36) दिनांक 08 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय गलिन वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-अमरोहा की निकाय-हसनपुर की 20 रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना हेतु रु 102.55 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्थीरूपि सहित, तालिका के इतन्हें-7 गे अकिल पथम विश्वत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि रु 51.275 लाख (रुपये इक्यावन लाख सत्ताइङ्ग हजार पाँच सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित रूपीय प्रतिवर्णों के अधीन राहिं रूपीकृति प्रदान करते हैं:

(प्रतिवर्णी लाख रुपये में)						
क्र०	जनपद/ विविध का नाम	कुल आवासों की संख्या।	मध्यस्थापना गुविष्ठाओं की संख्या।	सामान्य वर्गी के लाभाधियों की संख्या।	सामान्य वर्गी के लाभाधियों की संख्या।	प्रथम विश्वत (50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1	अमरोहा/ हसनपुर	36	184.58	20	102.55	51.275

- उक्त धनराशि का द्वय प्राप्त आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1 13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1 14-14(11)/2012टीसी(री) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/रायवरस्था का पूर्णाधेन अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय दस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अंत्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर संक्षिप्त स्तर से तकलीकी स्थीरूपि अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्रम रूपर से तकलीकी स्थीरूपि स्थाप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

मुख्यमंत्री/मुख्यमंत्री

3. प्रायोजना का निर्णय प्राप्त करने से पूर्व मानविकों के आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास परिकल्पना/साक्षम स्लोकल अधारिटी से रवीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक बैधिक आपत्तियाँ एवं पर्यावरणीय विलयरेन्वा प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्णय कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में गानकीयून क्षेत्रफल, आनंदित एवं मात्रा में फ़िक्सी प्रकार का परिवर्तन अनुगम्य नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में रवीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुगम्य नहीं होगा।
6. रुडा/इडा द्वारा यह युनिषिट किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा फ़िक्सी अन्वय स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में समिग्नित है। उक्त रवीकृत धनराशि आवंटित परिवय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्वितीय/पुनरावृत्ति त हो इसे रुडा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिषित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उत्क्षेप्तीय परिवर्तन नैसे-नये वर्ग बढ़ावा, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियों द्वारा उत्पादित करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये विना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सामिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदृष्टि संस्था द्वारा तकलीकी स्वीकृति निर्णीत करने के पूर्व विरुद्ध डिजाइन/इडिङ चलाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस विधि में पूरीषित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पूरीषित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्णय कार्य आरम्भ करने के पूर्व इस लीड आवासों के ग्रू स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. रुडा/इडा द्वारा यह सुनिषित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के विर्गण से सम्बन्धित ग्रान्टीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित रूपों का अनुपालन सुनिषित करेंगे।
10. उक्त धनराशि वैक के ग्रान्टरण से आहरण के पश्चात राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सञ्चालित रुडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी रूपी परिवारी का साक्षम स्तरीय विराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथावैधित योजना विर्द्धि के अनुपालन पर आधिकार लेकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/डब्ल्यू के माध्यम से विर्गण द्वारा को आलंब्य करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उत्तरानुसार उभी पहलुओं पर आधरण हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण विदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 3090, लखनऊ द्वारा प्रमुख राज्यीय अथवा विशेष संघित, नगरीय रोजगार एवं ग्रामीण उम्मीदवाल योर्कम विभाग के प्रतिवर्तीयानुसार विदेशक द्वारा जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना ग्राहकेयाकार (राजकोष), ग्राहकेयाकार (लेखा), 3090, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का लाभ, बाजार सद्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. रवीकृत धनराशि कोपागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपार्टमेंट खाले य पी0एल0०० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोपागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार विद्या जायेगा तथा इसीरी सत्र्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। पश्चागत आहरण/भुगतान के पूर्व वयस्तियम केवल य राज्य के कर्तों की स्त्रीत की कठौती सम्बन्धी अनिवार्य नियमित प्रतिवर्षीय के अनुपालन का द्याव रखा जायेगा।
14. इस धनराशि का उपयोग बालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनालंगत प्रथम किशत के रूप में रवीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि द्वय हो जाने के पश्चात् तथा उसके शारेका भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की अवशेष/द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित ग्राहण के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विभाग अधिकरण, ३०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का निलाल भाग्यलेखाकार के कार्योत्तम के लिये से अवश्य करायेगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई री वयस्तियस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एग0ओ0प्य०) निष्पादित निये जाने हेतु युआ द्वारा सम्बन्धित दूड़ा को लिर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का द्वय बालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-द्वयक में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत लेखा शीर्षक “४२१६ आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-०२-शहरी आवास-८००-अन्य द्वय-०३-आसरा योजना (आवासीय भवन)-२४ दृढ़ निर्माण कार्य” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्योत्तम तात्प संख्या २/२०१५/वी-१-९२५/दस-२०१५-२३१/२०१५, दिनांक ३०.०३.२०१५ य राज्य समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

अवदीय
४१३
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-७/२ /२०१५/१७३६(१)/६९ + १५, दृष्टिलाल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. भाग्यलेखाकार (लेखा एवं इकादशी), द्राघी, उत्तर प्रदेश, २० सरोजनी लायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय नियंत्रण लेखा परीक्षा विभाग ३०प्र०, छठनां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय सोजगार एवं गरीबी उन्नगमन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय निकास अंगीकरण, अमरोहा।
5. वित्त (द्वय-नियंत्रण) अनुभाग-८, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-५, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुद्र्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विभाग अंगीकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सुआ को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/वर्जट समर्पयक।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।